



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 / 07 श्रावण, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th May, 2025

No. HHC/GAZ/14-312/2010-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 03 days commuted leave *w.e.f.* 18-11-2024 to 20-11-2024 and further

07 days commuted leave *w.e.f.* 28-11-2024 to 04-12-2024 in favour of Sh. Amardeep Singh, the then Sr. Civil Judge-*cum*-CJM, Kinnaur at Reckong Peo, presently posted as Deputy Director, H.P. Judicial Academy, Shimla.

Certified that Sh. Amardeep Singh has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Amardeep Singh would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-*cum*-CJM, Kinnaur at Reckong Peo, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd July, 2025

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Court No.1, Hamirpur as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Senior Civil Judge-*cum*-CJM, Hamirpur and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV establishments attached to the aforesaid Court under Major head "2014—Administration of Justice" during the earned leave period of Sh. Surya Prakash, Senior Civil Judge-*cum*-CJM, Hamirpur *w.e.f.* 28-07-2025 to 02-08-2025 with permission to prefix special casual leave falling *w.e.f.* 21-07-2025 to 27-07-2025 and suffix Sunday falling on 03-08-2025 or till he returns from leave.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd July, 2025

No. HHC/Admn.6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Kangra as Drawing and Disbursing Officer in respect of

the Court of Civil Judge-cum-JMFC, Kangra and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV establishments attached to the aforesaid Court under Major head "2014—Administration of Justice" during the leave period of Ms. Shubhangi Joshi, Civil Judge-cum-JMFC, Kangra or till she returns from leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd July, 2025

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge-cum-JMFC, Chamba as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Senior Civil Judge-cum-CJM, Chamba and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV establishments attached to the aforesaid Court under Major head "2014—Administration of Justice" during the earned leave period of Sh. Nikhil Agarwal, Senior Civil Judge-cum-CJM, Chamba *w.e.f.* 08-08-2025 to 14-08-2025 with permission to suffix Gazetted holidays and Sunday falling *w.e.f.* 15-08-2025 to 17-08-2025 or till he returns from leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd July, 2025

No. HHC/Estt.3(700)/2009.—05 days earned leave on and with effect from 22-07-2025 to 26-07-2025 with permission to suffix Sunday falling on 27-07-2025 is hereby sanctioned in favour of Shri Yugal Kishore, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Yugal Kishore is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Yugal Kishore would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 22nd July, 2025*

No. HHC/GAZ/14-315/2010-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 07 days' earned leave *w.e.f.* 08-08-2025 to 14-08-2025 with permission to suffix Gazetted holidays and Sunday falling *w.e.f.* 15-08-2025 to 17-08-2025 in favour of Sh. Nikhil Agarwal, Senior Civil Judge-cum-CJM, Chamba, H.P.

Certified that Sh. Nikhil Agarwal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Nikhil Agarwal would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-CJM, Chamba, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 22nd July, 2025*

No. HHC/GAZ/14-304/2009-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days' earned leave *w.e.f.* 28-07-2025 to 02-08-2025 with permission to prefix special casual leave falling *w.e.f.* 21-07-2025 to 27-07-2025 and to suffix Sunday falling on 03-08-2025 in favour of Sh. Surya Prakash, Senior Civil Judge-cum-CJM, Hamirpur, H.P.

Certified that Sh. Surya Prakash is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Surya Prakash would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-CJM, Hamirpur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 22nd July, 2025*

No. HHC/GAZ/14-410/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post-facto* sanction of 03 days commuted leave *w.e.f.* 30-06-2025 to 02-07-2025 in favour of Ms. Priyanka Devi, Civil Judge-cum-JMFC, Anni, H.P.

Certified that Ms. Priyanka Devi had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Priyanka Devi would have continued to hold the post of the Civil Judge-cum-JMFC, Anni, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-

Registrar General.

**DEPARTMENT OF THE ADVOCATE GENERAL,
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 24th December, 2024

No. 1-35/2023-85473.—Sanction is hereby accorded to the grant of 07 days earned leave *w.e.f. 24th to 30th December, 2024* in favour of **Ms. Priyanka Chauhan, Deputy Advocate General.**

Certified that **Ms. Priyanka Chauhan, Deputy Advocate General** would have continued to officiate but for her proceeding on 07 days earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that **Ms. Priyanka Chauhan, Deputy Advocate General** is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where she proceeds on leave.

Sd/-

(ISHWARI NAND MEHTA),
Senior Addl. Advocate General
Himachal Pradesh, Shimla.

**DEPARTMENT OF THE ADVOCATE GENERAL,
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 24th December, 2024

No. 1-14/2024-85468.—Sanction is hereby accorded to the grant of two days earned leave for **23rd and 24th December, 2024** with permission to avail prefix/suffix *i.e.* Sunday and gazetted holiday falling on 22nd and 25th December, 2024 in favour of **Sh. Amandeep Sharma, Additional Advocate General.**

Certified that **Shri Amandeep Sharma, Additional Advocate General** would have continued to officiate but for his proceeding on 2 days earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that **Shri Amandeep Sharma, Additional Advocate General** is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/-
(ISHWARI NAND MEHTA),
Senior Addl. Advocate General
Himachal Pradesh, Shimla.

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 28th July, 2025

No. TPT-C(9)-1/2025-II.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub section 14(3) of Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to exempt the following vehicles from the payment of Token Tax and Special Road Tax with penalty as detailed as under, in the public interest:—

Sl. No.	Vehicle Owner	Vehicle No.	Tax Type	Exemption
1.	Sh. Sohan Singh s/o Sh. Mohalla Ram Thakur, r/o Village Alsu, P.O. Dehar, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P.	HP65-2077 (Bus)	Token Tax/SRT with penalty	01-07-2018 for Token tax and 05-06-2018 for SRT to till date.
2.	Sh. Mangat Ram s/o Lt. Sh. Anant Ram, r/o Village Beel, P.O. Kiara, Tehsil Theog, District Shimla, H.P.	HP64A-3859 (Bus)	SRT	20-07-2023 to 28-11-2023.
3.	Sh. Tejender Pal s/o Sh. Bali Ram, r/o Village Garshala, Tehsil Sainj, District Kullu, H.P.	HP30A-0646 (Bus)	Token Tax/SRT/Cess with penalty	01-05-2023 for Token tax and 04-07-2022 for SRT to till date.

By order,

Sd/-
(R.D. NAZEEM),
Additional Chief Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 22nd July, 2025*

No. TPT-C(17)-2/2025.—In continuation to this department's Notification No. TPT-A(1)-3/2015, dated 06-06-2023, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under Section-56(1) of H.P. Motor Vehicles Rules, 1989, is pleased to re-appoint the following non-official members of the State Transport Authority, Himachal Pradesh till further orders :—

Non-Official Members:

Sl. No.	Name and Address
1.	Sh. Ashok Thakur s/o Late Sh. Suram Singh, V.P.O. Pandoga, Distt. Una, H.P.
2.	Mrs. Anjana Dhiman w/o Sh. Mast Ram Dhiman, V.P.O. Ladda, Teh. Ghumarwin, Distt. Bilaspur, H.P.
3.	Sh. Baldev Thakur s/o Sh. Labh Singh, Vill. Khandla, P.O. Kummi, Teh. Balh, Distt. Mandi, H.P.
4.	Sh. Sunil Dutt Sharma s/o Sh. Roshan Lal, Vill. Badaran, P.O. Jhollan, Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur, H.P.

By order,

Sd/-

(R. D. NAZEEM),

Addl. Chief Secretary (Transport).

ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा: श्री कमल पुत्र श्री बलदेव गौतम, निवासी मकान नं0 110, रौडर सैक्टर नं0—III, बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती अमीषा राणा पुत्री श्री जयवीर सिंह, निवासी गांव रैथल, तहसील भटवाणी, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड। प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री कमल पुत्र श्री बलदेव गौतम, निवासी मकान नं० 110, रौड़ा सैक्टर नं०—III, बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि०प्र०) व श्रीमती अमीषा राणा पुत्री श्री जयवीर सिंह, निवासी गांव रैथल, तहसील भटवाणी, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 29—10—2024 को व्यवस्थित विवाह हिन्दु रीति—रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि०प्र०) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 29—10—2024 को दर्ज करने बारा यदि कोई एतराज हो तो वह दिनांक 02—08—2025 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित हों। अन्यथा श्री कमल पुत्र श्री बलदेव गौतम, निवासी मकान नं० 110, रौड़ा सैक्टर नं०—III, बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि०प्र०) व श्रीमती अमीषा राणा पुत्री श्री जयवीर सिंह, निवासी गांव रैथल, तहसील भटवाणी, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि०प्र०) को आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02—07—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप—मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि०प्र०)।

**In the Court of Sh. Sanjeet Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Papu Kumar s/o Sh. Piar Chand, r/o V.P.O. Utpur, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.)

2. Smt. Vandana Saini d/o Sh. Teja Ram Saini, r/o V.P.O. & Tehsil Rajpur, Khadar District Mathura (U.P.)-281 121
..Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Papu Kumar & Smt. Vandana Saini have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents before the Court of undersigned stating therein that their marriage ceremony has been performed on 10-06-2024 at Shri Sita Ram Ji Temple, Vijaypur, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra, H.P. according to Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 22-08-2025. In case no objection is received by 22-08-2025 it will be

presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 18-07-2025.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Hamirpur (H.P.).

**In the Court of Sh. Sanjeet Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Satish Kumar & Sh. Joginder Singh, r/o Village Dall, P.O. Kot, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.)

2. Smt. Kajal Henri d/o Sh. Ratan Henri, r/o Ward No.-24, Kahra Block, Saharsa, Bihar, Pin-852 201. . .Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Satish Kumar s/o Smt. Kajal Henri have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents before the Court of undersigned, stating therein that their marriage ceremony has been performed on 15-07-2025 at Mata Mandir Committee Tauni Devi, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur, (H.P.) according to Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 22-08-2025. In case no objection is received by 22-08-2025 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 18-07-2025.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Hamirpur (H.P.).

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj,
Distt. Hamirpur (H. P.)**

1. Sh. Vishal Kumar s/o Sh. Prithi Chand, Village Bharmoti, P.O. Bahanwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, aged 22 year old.

2. Smt. Suman Bhatnour d/o Ramesh Chand, Village Khur, P.O. Jarag, Tehsil Dadhu, District Sirmaur, H.P. aged 23 years old.

Versus

General Public

Sh. Vishal Kumar s/o Sh. Prithi Chand, Village Bharmoti, P.O. Bahanwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur & Smt. Suman Bhatnour d/o Ramesh Chand, Village Khur, P.O. Jarag, Tehsil Dadhu, District Sirmaur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on dated 10-06-2025 at Bhole Nath Mandir Lagmanvi, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-08-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19-07-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj,
Distt. Hamirpur (H. P.)**

1. Sh. Rajneesh Kumar s/o Sh. Hukum Chand, Village Palpal, P.O. Nagrota Gazian, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, aged 22 year old.

2. Muskan d/o Sh. Sanjeev Kumar, Village Kohta, P.O. Badehar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. aged 21 years old.

Versus

General Public

Sh. Rajneesh Kumar s/o Sh. Hukum Chand, Village Palpal, P.O. Nagrota Gazian, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur & Muskan d/o Sh. Sanjeev Kumar, Village Kohta, P.O. Badehar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on dated 10-06-2025 at Navahi Mata Mandir Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-08-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 18-07-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Sh. Sanjeet Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Anil Kumar s/o Sh. Ajeet Singh, r/o Village Nahlwin, P.O. Aghar, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) Pin-176 041.

2. Smt. Priyanka Bhatia d/o Sh. Gurbachan Singh, r/o Ward No.-5, Sujanpur, P.O. Sujanpur, Doli Mohalla, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P. 176 110 . .Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Anil Kumar & Smt. Priyanka Bhatia have filed an application u/s 5 of Special Marriages Act, 1954 alongwith supporting affidavits and documents before the Court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 26-08-2025. In case no objection is received by 26-08-2025 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 22-07-2025.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Hamirpur (H.P.).

Before the Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Officer, Tehsil Dheera (H.P.)

In Ref. :

Ajay Kumar & Sunita Devi

Versus

General Public

Application for Registration of marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from Ajay Kumar s/o Sh. Hari Singh, resident of Village Bari, P.O. Bhawarna, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) Pincode-176 083 and Sunita Devi d/o Sh. Sarwan Kumar, resident of Village Chiran, P.O. Rajhoon, Teh. Dheera, Distt. Kangra (H.P.)-176 065. If there is any objection on this marriage, the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 26-08-2025 otherwise will be registered.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Officer,
Dheera, District Kangra (H.P.).

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा, (हि0प्र0)**

मिसल नं0 तारीख दायरा
83 / 25 / TEH

तारीख पेशी
03-07-2025

30-07-2025

प्रार्थी रविन्द्र कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, निवासी गांव कोटकवाला, डाकघर जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी रविन्द्र कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, निवासी गांव कोटकवाला, डाकघर जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल व मौजा जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम बरडू दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का नाम पतीम चन्द पुत्र लुदर दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम बरडू की बजाए बरडू उपनाम प्रीतम चन्द पुत्र लुदर दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-07-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 04-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी, हि0प्र0से0, सहायक समाहर्ता एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा
82/25/TEH

तारीख पेशी
14-07-2025

07-08-2025

प्रार्थी संजय कुमार पुत्र काली दास पुत्र छजू, निवासी गांव पुराना मटौर, डाकघर मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल भल्लू, पटवार वृत्त तियारा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम कालू पुत्र छजू दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का नाम काली दास पुत्र छजू दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम कालू राम पुत्र छजू स्थित महाल वल्ला, पटवार वृत्त मटौर में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 07-08-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत पूजा अधिकारी, हि0प्र0से0, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0 तारीख दायरा
81/25/TEH

तारीख पेशी
16-07-2025

07-08-2025

प्रार्थियागण संतोष कुमारी, मनोरमा देवी व वीना देवी पुत्रियां प्रताप चन्द पुत्र चुहडू, निवासी व महाल व मौजा अनसोली, डाकघर मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा की स्थाई निवासी है, विधि सिंह पुत्र ख्याली राम, निवासी महाल नटेहड़, डाकघर कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थियागण द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल अनसोली, पटवार वृत्त मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम गुड्डी, निक्की, मोहनी दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में सभी का सही नाम संतोष कुमारी, मनोरमा देवी व वीना देवी पुत्रियां प्रताप चन्द पुत्र चुहडू दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सभी का सही नाम गुड्डी, निक्की, मोहनी की बजाये सर्वश्रीमती गुड्डी उपनाम संतोष कुमारी, निक्की उपनाम वीना देवी, मोहनी उपनाम मनोरमा देवी पुत्रियां प्रताप चन्द पुत्र चुहडू, निवासी महाल अनसोली, पटवार वृत्त मटौर में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 07-08-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0
38/2025

तारीख दायरा
24-07-2025

तारीख पेशी
07-08-2025

पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती काया देवी उपनाम आशा देवी पुत्री परस राम, निवासी महाल खोली, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती काया देवी उपनाम आशा देवी पुत्री परस राम, निवासी महाल खोली, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 25-04-1974 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत खोली, तहसील व जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 07-08-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(पूजा अधिकारी, हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
39/2025

तारीख दायरा
24-07-2025

तारीख पेशी
07-08-2025

पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती संतोष कुमारी पुत्री मोती राम, निवासी गांव व डाकघर चकवन समीरपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती संतोष कुमारी पुत्री मोती राम, निवासी गांव व डाकघर चकवन समीरपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 19-07-1965 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत खोली, तहसील व जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 07-08-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(पूजा अधिकारी, हि0प्र0से0),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० :
48/2025

तारीख मजरूआ :
19-05-2025

तारीख पेशी :
25-08-2025

भूप सिंह पुत्र श्री करम सिंह, गांव कठलग, डाकघर धियूं, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत पंचायत में जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे इश्तहार/गजट राजपत्र में प्रकाशन बारे।

भूप सिंह पुत्र श्री करम सिंह, गांव कठलग, डाकघर धियूं, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूं तथा मेरी जन्म तिथि 05-03-1968 पूर्ण सत्य व सही है। लेकिन मेरी जन्म तिथि ग्राम पंचायत तल्याहड़ में दर्ज नहीं है। अतः मेरा महोदय से निवेदन है कि ग्राम पंचायत तल्याहड़ के रिकार्ड में मेरी जन्म तिथि दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाये।

सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रन्धाड़ा के जन्म रजिस्टर में दर्ज किये जाने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह अससालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 25-08-2025 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 22-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी
तहसील मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री सत पाल राणा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, जांगला,
जिला शिमला (हि0 प्र0)**

श्री बलबीर सिंह पुत्र स्व0 श्री विजय सिंह, निवासी झलवाड़ी, डाकघर थाना, उप-तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(2/3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस न्यायालय में श्री बलबीर सिंह पुत्र स्व0 श्री विजय सिंह, निवासी झलवाड़ी, डाकघर थाना, उप-तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0प्र0) ने प्रार्थना—पत्र दायर किया है जिसमें उसने निवेदन किया है कि उनके पिता श्री विजय सिंह का देहान्त 12-03-1985 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु ग्राम पंचायत थाना के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं की गई है तथा उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत थाना में दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

अतः इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी विजय सिंह की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत थाना में दर्ज करने बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह 23-08-2025 व इससे पूर्व तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर इस न्यायालय में आकर अपना एतराज/आपत्ति दर्ज करवा सकता है। एतराज/आपत्ति दर्ज न होने की सूरत में यह समझा जायेगा कि विजय सिंह की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत थाना में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत थाना में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(सत पाल राणा),
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जांगला, जिला शिमला, हि0प्र0।

**ब अदालत श्री अनिल शर्मा, तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी,
जिला शिमला, हि0प्र0**

श्रीमती उमा देवी पुत्री श्री मान सुख, निवासी गांव पनेहल, डाकघर लैलन, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत बडाच के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करने बारे।

श्रीमती उमा देवी पुत्री श्री मान सुख, निवासी गांव पनेहल, डाकघर लैलन, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 07-02-1972 अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। अब प्रार्थिया ग्राम

पंचायत बडाच के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकरण करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने अपना ब्यान हल्फिया (स्वयं सत्यापित), स्कूल प्रमाण-पत्र, वोटर कार्ड व सचिव द्वारा अप्राप्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि उसके जन्म पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण का सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-08-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में ग्राम पंचायत बडाच को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

**Before Priyanjali Sharma, Executive Magistrate-cum-Tehsildar, Tikkar,
District Shimla, Himachal Pradesh**

Case No. :
2/25

Date of Institution :
18-07-2025

Date of Decision
Pending for 22-08-2025

Mr. Anand Singh s/o Bhag Mal, r/o Village Hanstari, P.O. Samra, Teshil Tikkar, District Shimla, H.P. ..Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Mr. Anand Singh has moved an application before undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969, alongwith the affidavit and necessary documents, stating that his birth took place on dated 28-05-1983 at Village Hanstari, P.O. Samra, Teshil Tikkar, District Shimla, H.P. but his date of birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Tikkar, District Shimla within stipulated period. Hence he prayed for passing necessary orders to Secretary, Birth and Death Registration, Gram Panchayat Tikkar, Tehsil Tikkar for entering the same in birth and death records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any objection for registration of delayed date of birth i.e. 28-05-1983 submit their objections in writing in this court on or before 22-08-2025 at 11.00 A.M. failing which, no objection will be entertained after expiry of date.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate-cum-Tehsildar,
Tehsil Tikkar, District Shimla (H.P).

**In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

Mr. Bal Singh s/o Subhash Rai c/o Babu Ram, Pandu Ram Colony, Near Old Barrior, Hari Nagar Shimla Urban (T), Shimla, H.P. . . *Applicant.*

Versus

General Public

. . *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Mr. Bal Singh s/o Subhash Rai c/o Babu Ram, Pandu Ram Colony, Near Old Barrior, Hari Nagar Shimla Urban (T), Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of himself namely Bal Singh (DOB-15-08-1980) at Pandu Ram Colony, Near Old Barrior, Hari Nagar, Shimla Urban(T), H.P. in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 23rd July, 2025.

Seal.

Sd/-

*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).*

ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोन्हाट,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री दुला राम पुत्र श्री प्रीतम सिंह, निवासी ग्राम सिधोटी, डाकघर व ग्राम पंचायत पनोग, उप-तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम सिधोटी, ग्राम पंचायत सिधोटी, उप-तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

श्री दुला राम पुत्र श्री प्रीतम सिंह, निवासी ग्राम सिधोटी, डाकघर व ग्राम पंचायत पनोग, उप-तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-4367, दिनांक 05-07-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 05-04-1965 को ग्राम पंचायत पनोग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु

प्रार्थी ने आवेदन-पत्र में मय हल्फिया ब्यान प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री दुला राम पुत्र श्री प्रीतम सिंह, निवासी ग्राम सिधोटी, डाकघर व ग्राम पंचायत पनोग, उप-तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 05-04-1965 को ग्राम पंचायत पनोग, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 15-08-2025 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में दुला राम की जन्म तिथि 05-04-1965 ग्राम पंचायत पनोग, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं० : 9/13(3) of 2025

तारीख मजरूआ : 02-06-2025

तारीख पेशी : 23-08-2025

प्रार्थिया श्रीमती बिमला देवी पुत्री श्री बुध सिंह व पत्नी श्री पृथ्वी सिंह हाल निवासी क्यारटा पिपलटी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थिया श्रीमती बिमला देवी पुत्री श्री बुध सिंह निवासी कांडो हरयास, डाकघर भाटगड़, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थिया अपना जन्म ग्राम पंचायत भाटगड़ में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया का जन्म मिति 29-04-1975 को ग्राम पंचायत भाटगड़ में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत भाटगड़ में दर्ज न करवा सकी, जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 23-08-2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 09-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(जय सिंह ठाकुर),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं० : 10/13(3) of 2025

तारीख मजरूआ : 02-06-2025

तारीख पेशी : 03-09-2025

प्रार्थी श्री बलबीर सिंह पुत्री श्री बुगलू राम, निवासी खाला क्यार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3).

प्रार्थी/वादी श्री बलबीर सिंह पुत्री श्री बुगलू राम, निवासी खाला क्यार, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थी अपने बेटे पियूष का जन्म ग्राम पंचायत खाला क्यार में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी के बेटे पियूष का जन्म मिति 28-10-2022 को ग्राम पंचायत खाला क्यार में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत खाला क्यार में दर्ज न करवा सका, जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 03-09-2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 09-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(जय सिंह ठाकुर),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री सीता राम, निवासी गांव लौहराह, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री सीता राम, निवासी गांव लौहराह, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरखास्त गुजारी है कि प्रार्थी अपनी पुत्री वंशीका का नाम व जन्म तिथि 23-12-2019 दर्ज करवाना चाहता है। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत नाया में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने

आवेदन-पत्र मय हल्फी ब्यान, प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नाया, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 20-08-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में वंशीका पुत्री श्री कल्याण सिंह का नाम व जन्म तिथि 23-12-2019 ग्राम पंचायत नाया, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

(मोहन लाल),

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी ग्राम बांदली, गाम पंचायत बान्दली, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी ग्राम बांदली, गाम पंचायत बान्दली, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसकी माता स्व० श्रीमती जमनी पत्नी श्री मेहर सिंह की मृत्यु दिनांक 31-01-2017 को हो चुकी है। लेकिन भूलवश वह इसका पंजीकरण नहीं करवा सका जिसे वह अब ग्राम पंचायत बान्दली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता स्व० श्रीमती जमनी की मृत्यु तिथि 31-01-2017 को ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 19-08-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में उपरोक्त पंजीकरण बारे आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(मन मोहन जिष्टू),
कार्याकारी दण्डाधिकारी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी ग्राम बांदली, गाम पंचायत बान्दली, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी ग्राम बांदली, गाम पंचायत बान्दली, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उनके पिता स्व0 श्री मेहर सिंह पुत्र श्री प्रितम की मृत्यु दिनांक 05-03-2017 को हो चुकी है। लेकिन भूलवश वह अपने पिता की मृत्यु पंजीकरण नहीं करवा सके जिसे वह अब ग्राम पंचायत बान्दली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता स्व0 श्री मेहर सिंह की मृत्यु तिथि 31-01-2017 को ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 19-08-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में उपरोक्त पंजीकरण बारे आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(मन मोहन जिष्टू),
कार्याकारी दण्डाधिकारी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा श्री गंगा राम पुत्र श्री मोही राम, निवासी ग्राम च्याना, डाकघर व तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—उप—महाल च्याना के राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री गंगा राम पुत्र श्री मोही राम, निवासी ग्राम च्याना, डाकघर व तहसील शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदक उप—महाल च्याना के राजस्व अभिलेख में अपना नाम गंगीया पुत्र मोही राम के स्थान पर गंगा राम पुत्र मोही राम दर्ज करवाना चाहता हं।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उप—महाल च्याना, पटवार वृत्त शिलाई, तहसील शिलाई के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम गंगीया पुत्र मोही राम के स्थान पर गंगा राम पुत्र मोही राम दर्ज करने बारे अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 19-08-2025 सायं 05.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में उप—महाल च्याना, पटवार वृत्त शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0 के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती के आदेश सम्बन्धित क्षेत्रीय कर्मचारी को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(मन मोहन जिष्टू),
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, शिलाई,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा श्री तुंगा राम पुत्र श्री कालिया, निवासी ग्राम सेरखी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—उप—महाल सेरखी के राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री तुंगा राम पुत्र श्री कालिया, निवासी ग्राम सेरखी, तहसील शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदक उप—महाल सेरखी के राजस्व अभिलेख में अपने पिता का नाम कांशिया पुत्र झोरा के स्थान पर कालिया पुत्र झोरा दर्ज करवाना चाहता हैं।

मामले में सुनवाई के दौरान आवेदक के भाई श्री शेरु पुत्र श्री कालिया ने अदालत में हाजिर आकर ब्यान कलमबन्द किया कि उप—महाल सेरखी के राजस्व अभिलेख में उसके तथा उसके भाई तुंगा राम के पिता का नाम कांशिया पुत्र झोरा दर्ज है जोकि गलत है। जबकि उनके पिता का सही नाम कालिया पुत्र झोरा है जो उनके आधार कार्ड व परिवार नकल में भी दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख में भी उनके पिता का नाम कांशिया पुत्र झोरा को दुरुस्त कर कालिया पुत्र झोरा दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उप-महाल शेरखी, पटवार वृत्त शिलाई, तहसील शिलाई के राजस्व अभिलेख में आवेदक तुंगा राम तथा उसके भाई के पिता का नाम कांशिया पुत्र झोरा के स्थान पर कालिया पुत्र झोरा दर्ज करने बारे अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 19-08-2025 सायं 05.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में उप-महाल सेरखी, पटवार वृत्त शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0 के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती के आदेश सम्बन्धित क्षेत्रीय कर्मचारी को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(मन मोहन जिष्टू),
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री सुरेश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं० : 10/13(3) of 2024

तारीख मजरूआ : 18-06-2025

तारीख पेशी : 26-08-2025

प्रार्थिया श्रीमती ताजो पुत्री युसुफ अली, निवासी गांव अंजी, डाकघर व पंचायत नेहर-स्वार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3).

प्रार्थिया श्रीमती ताजो पुत्री युसुफ अली, निवासी गांव अंजी, डाकघर & पंचायत नेहर-स्वार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 01-07-1982 ग्राम पंचायत नेहर-स्वार में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया का जन्म ग्राम पंचायत नेहर-स्वार में घर पर ही हुआ था, लेकिन माता-पिता की लापरवाही व अज्ञानता के कारण आज दिन तक उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नेहर-स्वार में दर्ज न हो सकी, जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज मौजूदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 20-08-2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी, ददाहू के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होंवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 21-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(सुरेश कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं० : / 2025

श्री अब्दुल मलिक पुत्र श्री सादिक मुहम्मद, निवासी अमरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री अब्दुल मलिक पुत्र श्री सादिक मुहम्मद, निवासी अमरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2025-3737, दिनांक 21-06-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-08-1979 है, व अज्ञानतावश प्रार्थी की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पुरुवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-08-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्री अब्दुल मलिक पुत्र श्री सादिक मुहम्मद, निवासी अमरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 22-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**In the Court of Shri Manmohan Sharma, Executive Magistrate-cum-Tehsildar Solan,
District Solan (H. P.)**

In the matter of :

Smt. Indra Devi d/o Shri Nek Ram, r/o Village Kather, Ward No. 17, Solan, Post Office,
Chambaghat, Tehsil & District Solan (H.P.) . .Applicant.

Versus

General Public

. .Respondent.

Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003.

PROCLAMATION

Whereas, the applicant Smt. Indra Devi d/o Shri Nek Ram, r/o Village Kather, Ward No. 17, Solan, Post Office, Chambaghat, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering her date of birth *i.e.* 05-03-1976 and place of birth at Village Kather, Ward No. 17, Solan, Post Office, Chambaghat, Tehsil & District Solan (H.P.) but her date of birth could not be entered in the record of M. C. Solan, Tehsil & District Solan.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Indra Devi d/o Shri Nek Ram & Smt. Chaina Devi may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 22-08-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 21st day of July, 2025.

Seal.

Sd/-
(MANMOHAN SHARMA),
*Executive Magistrate-cum-Naib-Tehsildar,
Solan, District Solan (H. P.).*

**In the Court of Shri Manmohan Sharma, Executive Magistrate-cum-Tehsildar Solan,
District Solan (H. P.)**

In the matter of :

Smt. Asha Sunar w/o Shri Meen Bahadur d/o Shri Shyam Lal, Permanent r/o Village Barpak, District Gorkha, Nepal. *..Applicant.*

Versus

General Public

..Respondent.

Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003.

PROCLAMATION

Whereas, the applicant Smt. Asha Sunar w/o Shri Meen Bahadur d/o Shri Shyam Lal, Permanent r/o Village Barpak, District Gorkha, Nepal has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering her child date of birth *i.e.* 01-12-2017 and place of birth is at Village Berti, Post Office Ghatti, Tehsil & District Solan (H.P.), but her child date of birth could not be entered in the record of G.P. Dangri, Tehsil & District Solan.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Ms. Leela Sunar d/o Shri Meen Bahadur & Smt. Asha Sunar may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 22-08-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 21st day of July, 2025.

Seal.

Sd/-
(MANMOHAN SHARMA),
*Executive Magistrate-cum-Naib-Tehsildar,
Solan, District Solan (H. P.).*

CHANGE OF NAME

I, Banita Devi d/o Sh. Ram Swroop, r/o Village Dabar, P.O. Namhol, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my name from Anita Devi to Banita Devi for all purposes in future. All concerned please may note.

BANITA DEVI
*d/o Sh. Ram Swroop,
r/o Village Dabar, P.O. Namhol,
Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Anita Devi d/o Sh. Ram Swroop, r/o Village Dabar, P.O. Namhol, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my name from Banita Devi to Anita Devi for all purposes in future. All concerned please may note.

ANITA DEVI
*d/o Sh. Ram Swroop,
r/o Village Dabar, P.O. Namhol,
Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Ashutosh Kundlas aged about 19 years s/o Sh. Kuldeep Singh, r/o Ward No. 3, Sai Road, Suraj Majra Labana, Baddi, District Solan (H.P.) declare that actual name of my father is Kuldeep Singh but in my 10th & 12th certificates issued by CBSE it has been wrongly recorded as Kuldeep Singh Kundlas. Now I want to get my father's name corrected as Kuldeep Singh in my certificates.

ASHUTOSH KUNDLAS
*s/o Sh. Kuldeep Singh,
r/o Ward No. 3, Sai Road,
Suraj Majra Labana, Baddi, District Solan (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Jai Pal s/o Late Sh. Jaisi Ram, r/o Village Charambu, P.O. Gharna, Tehsil Khundian, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my minor grand daughter's name from Anjali to Kavita (daughter of Late Sh. Veer Singh) for all purposes in future. Please note.

JAI PAL
s/o Late Sh. Jaisi Ram,
r/o Village Charambu, P.O. Gharna,
Tehsil Khundian, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rashma Devi d/o Partap Chand, r/o Village Matt, P.O. Sungal, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) have changed my name from Khatija Begum to Rashma Devi.

RASHMA DEVI
d/o Partap Chand,
r/o Village Matt, P.O. Sungal,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Amit Chadda s/o Sh. Raj Kumar, r/o Mohalla Surara, Chamba Town, Tehsil & District Chamba (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Maythlee to Maithili for all purposes in future. Please note.

AMIT CHADDA
s/o Sh. Raj Kumar,
r/o Mohalla Surara, Chamba Town,
Tehsil & District Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jaiku w/o Daulat Ram, r/o Village Jundi, P.O. Samoli, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) declare that my name is mentioned as Jai Devi in my Aadhar Card, which is wrong. Hence, it should be changed to Jaiku.

JAIKU
w/o Daulat Ram,
r/o Village Jundi, P.O. Samoli,
Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Shivani w/o Sh. Neeraj Kapoor, Mohalla Bangotu, Tehsil & District Chamba (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Shivani Kapoor in the matriculation certificate from CBSE of my son Devang Rai Kapoor. My correct name is Shivani. Concerned please note.

SHIVANI
w/o Sh. Neeraj Kapoor,
Mohalla Bangotu,
Tehsil & District Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Shivani w/o Sh. Neeraj Kapoor, Mohalla Bangotu, Tehsil & District Chamba (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Shivani Kapoor in the matriculation certificate from CBSE of my daughter Divyanshi Kapoor. My correct name is Shivani. Concerned please note.

SHIVANI
w/o Sh. Neeraj Kapoor,
Mohalla Bangotu,
Tehsil & District Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kamla Devi w/o Sh. Babu Ram, r/o Village Tippi, P.O. Dradha, Tehsil & District Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Kamlo Devi to Kamla Devi for all purposes in future. Please note.

KAMLA DEVI
w/o Sh. Babu Ram,
r/o Village Tippi, P.O. Dradha,
Tehsil & District Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Allau Deen s/o Sh. Mamdeen aged 38 years, r/o Village Jagota, P.O. Haripur, Tehsil & District Solan (H.P.)-173 206 declare that I have changed my name from Salman Khan to Allau Deen with immediate effect for all purposes & records. All concerned please note.

ALLAU DEEN
s/o Sh. Mamdeen,
r/o Village Jagota, P.O. Haripur,
Tehsil & District Solan (H.P.)-173 206.

CORRECTION OF NAME

I, Bimla Devi d/o Sh. Hari Chand, r/o Village Shanag, P.O. Jhiknipul, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) declare that in Aadhar Card bearing No. 9033 7782 2727 my name is wrongly entered as Vimla whereas correct name is Bimla Devi. Please note.

BIMLA DEVI
d/o Sh. Hari Chand,
r/o Village Shanag, P.O. Jhiknipul,
Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

**HOME DEPARTMENT
(Section-C)**

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th July, 2025

No. Home-C(A)0(04)/3/2023(E-165908).—The Governor, Himachal Pradesh, in continuation of this Department's Notification of even number dated 24-04-2025, and in exercise of the powers conferred upon him *vide* Para 29.01 of Chapter XXIX of H.P. Prison Manual, 2021, is pleased to nominate following Non Official Member of Board of Visitors in Himachal Pradesh, with immediate effect :—

NON-OFFICIAL VISITORS/MEMBERS OF DISTRICT/ SUB-DIVISION LEVEL

Sl. No.	Name & Particulars of Non-official Members S/Shri/Ms.	Name of Jail for which appointed as Non-official Member
1.	Sandeep Kumar Bhardwaj, IPS, Superintendent of Police, Himachal Pradesh Human Rights Commission.	Nominee of State Human Rights Commission.
2.	Mahesh Kumar (Kaka) s/o Sh. Prithvi Chand, Village Balahar, P.O. Rangas, Tehsil Nadaun, District Hamirpur. Mobile No. 98828-41198, 78767-00520	District Jail, Hamirpur District Hamirpur, H.P
	Suman Bharti s/o Sh. Hans Raj, V.P.O. Nalti, Tehsil & District Hamirpur, Phone No. 94182-16400	

The term of the Non Official Members of Board of Visitors will be of two years from the date of publication of this notification in the Rajpatra (E-Gazette), Himachal Pradesh.

The Board of Visitors (Official and Non Official) shall perform their duties and responsibilities as per the provisions contained in the Chapter-XXIX of Himachal Pradesh Prison Manual 2021.

By order,

Sd/-

(KAMLESH KUMAR PANT)

Additional Chief Secretary (Home).